कार्यालय प्रधान मुख्य वन

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/नि.प्र./2146 दि. 21/8/2000

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
समस्त वनमंडलाधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय :-वन भूमि से अतिकामकों को बेदखल करने के सबंध में ।

विगत सत्र (जुलाई-अगस्त 2000) में एक विधान सभा प्रश्न के उत्तर में पाया गया कि कुछ अतिकामकों ने वर्ष 96 में वन भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसके लिए अतिकामकों के विरुध्द पी0ओ0आर0 प्रकरण दर्ज किये गये थे । प्रकरण का न्यायालय में भी चालान प्रस्तुत किया गया जिसमें अतिकामकों को सजा दी गई । प्रश्न के उत्तर में वनमंडलाधिकारी व्दारा बताया गया कि अतिकामकों के विरुध्द बेदखली की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रकरण में क्षेत्रीय अधिकारियो व्दारा 4 वर्ष पश्चात् भी यह लिखना कि बेदखली की कार्यवाही की जा रही है, न केवल अनुचित है, बल्कि अतिक्रमण को प्रोत्साहित करना है ।

इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि वन क्षेत्र में अतिक्रमण होने पर तत्काल पी0ओ0आर0 जारी किये जांय और साथ ही अतिकामकों को धारा 80-ए के तहत बेदखली का तत्काल नोटिस जारी किया जाय । यह सुनिश्चित करना वनमंडलाधिकारी का दयित्व होगा कि वन भूमि में अतिक्रमण हेतु जारी किये गये पी0ओ0आर0 प्रकरणों में धारा 80-ए के अन्तर्गत बेदखली का नोटिस समय पर जारी कर दिया जाय और तत्संबंध में आगे की कार्यवाही विहित वैधानिक प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित की जाय ।

आप ऐसी व्यवस्था करें कि वन क्षेत्र में अतिक्रमण होते ही जारी किये गये पी0ओ0आर0 प्रकरणों की जानकारी पी ओ आर जारी होने के एक माह की अवधि में निश्चित रुप से वनमंडलाधिकारी को प्राप्त हो जाय और वनमंडलाधिकारी अगले एक माह में अतिकामकों को धारा 80-ए का बेदखली नोटिस जारी कर दे तथा विधि प्रावधानो के अनुसार बेदखली सुनिश्चित करे ।

वनसरक्षक हर तीसरे महीने अतिक्रमण प्रकरणों की समीक्षा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन हो रहा है ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0भोपाल

पृ0क/निस/ 3147 भोपाल,दिनांक 21-8.2000

प्रतिलिपि :-

समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक म0प्र0भोपाल को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य वन सरक्षक(संरक्षण) कृपया उपरोक्त निर्देशों के पालन हेतु अपनी शाखा में मानीटरिंग की व्यवस्था करें ताकि अतिक्रमण प्रकरणों की मानीटरिंग सुनिश्चित की जा सके ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0भोपाल